न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 04 / 2023 तारीख रजू 02.01.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. श्यामवीर पुत्र श्री रोशनलाल (विक्रेता एवं कर्मचारी) मैसर्स– नेकराम दाल बाटीवाले, स्टेशन रोड, बजरिया, स0मा0 निवासी–म.नं0 औलेण्डा फतेहपुर सीकरी किरावली, आगरा (यू0पी0)–283110
2. नेक राम पुत्र श्री रम छोल (मालिक) मैसर्स– नेकराम दाल बाटीवाले, स्टेशन रोड, बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी – म.नं0 114, जटवाड़ा खुर्द, वार्ड नं0 5, तह0 / जिला सवाई माधोपुर।

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/ 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 26.07.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 21.06.2022 को दोपहर 01.00 पी.एम. पर उक्त संस्थान पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय कर परोसे जाने वाली बाटी घी में चोपड़ कर तैयार रखी थी। एक स्टील के डिब्बे में रखे तरल पदार्थ को विक्रेता ने घी होना बताया जिससे उक्त बाटियों को चोपड़ना बताया। उक्त स्टील के डिब्बे में रखे घी (लूज) में गुणवत्ता / मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 1 लीटर घी (लूज) एक स्टील की साफ भगौनी में खरीदकर उसकी कीमत 500 / – रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान शेतान सिंह एस.आई. एवं राजूलाल साहू के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा 1 लीटर घी (लूज) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी (लूज) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-2399** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक H-2399 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्यामवीर (विक्रेता एवं कर्मचारी) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति श्यामवीर (विक्रेता एवं कर्मचारी) को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मो0 असलम कार्यालय सहायक के द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2022/1160 दिनांक 15.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/2185/एक्ट/2022/2184 दिनांक 05.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** घी (लूज) Unsafe Food (Under section 3(1)(zz)(iv) and 3(1)(zz)(xi) of Food Safety and Standards Act, 2006) as the Ghee is sub-stituted wholly by any inferior and cheaper sub-stances प्रकृति का होना पाया गया है।

खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत धारा 2.4.6(1) के तहत नमूनों की जांच से असन्तुष्ट होते हुए नियमानुसार नियत अवधि में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में नमूनों की पुनः जांच हेतु आवेदक कर अपील की जिस अपील को स्वीकार करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) द्वारा लिये गये नमूनों के द्वितीय भाग को वास्ते जांच हेतु रेफरल लेब में भिजवाया गया एवं प्राप्त हुई रेफरल लेब पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या RFL/DO/545/22/631/2022 दिनांक 21.09.2022 से खाद्य नमूना घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड होना घोषित किया गया एवं रिपोर्ट की मूल प्रति मय अग्रेषण पत्र कमांक 104 दिनांक 10.10.2022 द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को भिजवाते हुए एक–एक प्रति आवेदक को दी गई तथा अपील प्रारूप–8 एवं फार्म नं. 6ए प्रतियां आवेदक को दी गई।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (लूज) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधिवक्ता ने अभियुक्त संख्या 2 का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया तथा प्रकरण में जवाब दिये बिना सीधे बहस किया जाकर प्रकरण का निरस्तारण करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (लूज) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त संख्या 2 की फर्म से घी (लूज) का

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

सेम्पल भरा गया था जिसको रेफरल लेब पूणे द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अभियुक्त संख्या 2 की मृत्यु हो चुकी है तथा अभियुक्त संख्या 1 केवल एक कर्मचारी की हैसियत से अभियुक्त संख्या 2 की फर्म पर कार्य करता था जो कि वर्तमान में उक्त फर्म पर कार्यरत नहीं है। अन्त में अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि रेफरल लेब पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या RFL/DO/545/22/631/2022 दिनांक 21.09.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ घी (लूज)** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त संख्या 2 का मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर प्रकरण से नाम हज़फ किया जाता है। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण में न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त संख्या 1 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त संख्या 1 को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ घी (लूज)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर